



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➤ एसीबी चौकी अलवर प्रथम द्वारा आरोपी संदीप हाल हैल्पर प्रथम फिडर आन्धाका कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जेवीवीएनएल किशनगढ बास ग्रामीण को 25,000/— रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

जयपुर दिनांक 07 मई 2026। को एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी अलवर प्रथम द्वारा आज कार्यवाही करते हुये संदीप, हाल हैल्पर प्रथम फिडर आन्धाका कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जेवीवीएनएल किशनगढ बास ग्रामीण द्वारा 25,000/— रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, के महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी अलवर पर परिवादी ने एक शिकायत दी की परिवादी के घर पर बिजली की लाईन से तार डाल रखा था दिनांक 05.05.2026 को संदीप कुमार लाईनमैन व आईएन साहब विजिलेंस आये और हमारे घर की फोटू खीच कर वीसीआर भर ली मेरे साथ साथ मेरे भाई व भतीजे की भी और वीसीआर भर ली। मैं घर पर नहीं था। संदीप लाईन मैन द्वारा वीसीआर नही भरने की एवज में 35,000/— रुपये रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है एवं सत्यापन करवाया जाने पर आरोपी संदीप लाईन मैन द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 25,000/— रुपये की मांग करना पाया गया।

जिस पर एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस—चतुर्थ श्री भुवन भूषण के सुपरवीजन में ए.सी.बी.चौकी अलवर प्रथम के प्रभारी उप अधीक्षक श्री शब्बीर खान द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी को परिवादी से 25,000/— रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक श्रीमती एस. परिमला के सुपरवीजन में आरोपी से पुछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।